

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 296/2017 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

राणसिंह बनाम हलीम वगैरा

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री मोहनसिंह सोढ़ा

निर्णय

दिनांक – 19.06.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वारा 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प गुमाने का तला में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा भाडा गुल मोहम्मद, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 118 रकबा 67.15 बीघा स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा भाडा गुल मोहम्मद, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 118 रकबा 67.15 में भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे।

कमीश्नर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरो की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को न्याय आपके द्वारा 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प गुमाने का तला में सुनाया गया।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/भू.अ./2018/ 1512
प्रार्थी :-

1.राणसिंह पुत्र अजबसिंह जाति राजपूत
निवासी देदूसर, तहसील चौहटन।

दिनांक 27/6/18

विप्रार्थीगण:-

- 1.हलीम 2.सलीम पि.सफी 3.कादरा 4.लूणा
- पि.कचरा जाति मुसलमान, निवासी भाडा गुल
- मोहमद 5.शैरू 6.अदरूप पि.हुसैन जाति मुसलमान
- निवासी देदूसर 7.जसुकंवर पत्नि उदयसिंह
- 8.लीलाकंवर पत्नि मोहनसिंह 9.उदयसिंह
- 10.शेम्भूसिंह 11.मोहनसिंह पि.देरावरसिंह 12.तारों
- कंवर पत्नि देरावरसिंह 13.अनोपसिंह पुत्र
- समरथसिंह, जाति राजपूत निवासी देदूसर
- 14.मानाराम 15.ताराराम पि.नरसाराम 16.रूखमों
- देवी पत्नि नरसाराम, जाति जाट
- निवासी देदूसर, तहसील चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 296/2017

दिनांक : 19.06.2018

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला के मौजा भाड़ा गुल मोहमद के खेत खसरा सं. 118 रकबा 67.15 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे।

कमिशनर फीश प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 1513 1016
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी राणसिंह
3. विप्रार्थीगण हलीम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेडवा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार थादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन

दिनांक

27/6/18

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन